

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/24/2024


दिनांक- 02/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 24 / 2024 अनवान जितेंद्र सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी हथौड़िया, नरपत सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी हथौड़िया बनाम कल्याण पिता छोगा मीणा निवासी हथौड़िया, रामदेव पिता छोगा मीणा निवासी हथौड़िया, कमालुद्दीन पिता कालू खां मुसलमान निवासी हथौड़िया, उम्मेद सिंह पिता नाहर सिंह राजपूत निवासी हथौड़िया की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम हथौड़िया प.ह. बिहाड़ा आराजी सं. 95, 96 कुल किता 02 रकबा 1.0846 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक कुराड़िया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

जितेंद्र सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी हथौड़िया
बनाम

नरपत सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी हथौड़िया वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 24 /2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

मुकदमा नंबर 24 /2024
अहकाम जो हुकम को
समझा में जारी है

02-04-24

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ | प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया | प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाले की भूमि ग्राम हथौड़िया प.ह. विहाड़ा आराजी सं. 95, 96 कुल किता 02 रकबा 1.0846 हेक्टेयर भूमि स्थित है | अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है | अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें | प्रार्थना पत्र की लाइट में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है |

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी | पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खालेदार है | प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है | ग्राम हथौड़िया प.ह. विहाड़ा आराजी सं. 95, 96 कुल किता 02 रकबा 1.0846 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराड़िया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है | कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे | पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें | पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें | तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं | पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें |

आदेश आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया |

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)